भारत सरकार
गृह मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 2725
दिनांक 16 दिसंबर, 2025 / 25 अग्रहायण, 1947 (शक) को उत्तर के लिए

मादक पदार्थों की तस्करी

2725. श्री दिनेश चंद्र यादव:
श्री गिरिधारी यादव:
श्री रामप्रीत मंडल:

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में मादक पदार्थों के उपयोग में वृद्धि हो रही है;

(ख) क्या पिछले पांच वर्षों मे मादक पदार्थों की तस्करी और बड़े खेपों की जब्ती की घटनाएँ बढ़ रही हैं;

(ग) क्या मादक पदार्थों के उपयोग के कारण सामाजिक अलगाव और मानसिक स्वास्थ्य जैसी समस्याएँ बढ़ रही हैं; और

(घ) क्या सरकार इन समस्याओं को गंभीरता से ले रही है, यदि हाँ, तो इसके समाधान के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री नित्यानंद राय)

(क): देश में मादक पदार्थों के सेवन की समस्या की व्यापकता का आकलन करने और इसका पता लगाने के लिए, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय (एमओएसजेई) द्वारा राष्ट्रीय औषधि निर्भरता उपचार केंद्र (एनडीडीटीसी), एम्स, नई दिल्ली के माध्यम से 'भारत में मादक पदार्थों के सेवन की व्यापकता' विषय पर एक व्यापक राष्ट्रीय स्तर का सर्वेक्षण कराया गया था, जिसे वर्ष 2019 में प्रकाशित किया गया था। सर्वेक्षण के अनुसार, विभिन्न मनःप्रभावी पदार्थों का इस्तेमाल करने वाले वयस्कों और बच्चों की व्यापकता (% में) और अनुमानित संख्या निम्नानुसार है:

मादक पदार्थ	बच्चे और किशोर (10-17 वर्ष)		वयस्क (18-75 वर्ष)	
	व्यापकता (% में)	इस्तेमाल करने वालों की अनुमानित संख्या	व्यापकता (% में)	इस्तेमाल करने वालों की अनुमानित संख्या
गांजा	0.90	20,00,000	3.30	2,90,00,000
ओपिओइड	1.80	40,00,000	2.10	1,90,00,000
सेडेटिव	0.58	20,00,000	1.21	1,10,00,000
कोकीन	0.06	2,00,000	0.11	10,00,000
एटीएस	0.18	4,00,000	0.18	20,00,000
मतिभ्रमकारी दवाएं	0.07	2,00,000	0.13	20,00,000

स्रोत: सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय

(ख): राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) द्वारा प्रकाशित वर्ष 2023 से संबंधित नवीनतम आंकड़ों के अनुसार, वर्ष 2019 से 2023 के दौरान, जब्त किए गए मादक पदार्थों की कुल मात्रा निम्नानुसार है:

वर्ष	जब्त किए गए मादक पदार्थों की मात्रा		
	किग्रा.	संख्या	लीटर
2019	1111646.073	20849422	11735699.605
2020	1316767.239	59255051	1104231.997
2021	1137145.702	48412687	895626.337
2022	2080575.536	17490971	4640749.099
2023	1035540.089	20905286	1969579.414

स्रोत: क्राइम इन इंडिया, एनसीआरबी

(ग)और(घ): सरकार मादक पदार्थों के इस्तेमाल के मुद्दे से निपटने के लिए विभिन्न उपाय कर रही है, जिनमें से कुछ निम्नानुसार हैं:-

(i) राष्ट्रीय नार्कोटिक्स हेल्पलाइन नंबर 1933 "मादक-पदार्थ निषेध आसूचना केंद्र" (मानस) को 24x7 टोल-फ्री राष्ट्रीय नार्कोटिक्स कॉल सेंटर के रूप में विकसित किया गया है। तदनुसार 'मानस' की परिकल्पना एक एकीकृत प्रणाली के रूप में की गई है, जो नागरिकों को कॉल, एसएमएस, चैट-बॉट, ई-मेल और वेब-लिंक जैसे संचार के विभिन्न तरीकों के माध्यम से मादक पदार्थों से संबंधित शिकायतों/समस्याओं को लॉग, रजिस्टर, ट्रैक और हल करने के लिए एक एकल मंच प्रदान करती है।

(ii) नशामुक्ति के लिए जरूरतमंद व्यक्तियों को प्राथमिक परामर्श और तत्काल सहायता प्रदान करने हेतु एक टोल-फ्री हेल्पलाइन नंबर 14446 चलाई जा रही है। अब तक, नशामुक्ति के लिए टोल-फ्री हेल्पलाइन पर 4.30 लाख से अधिक कॉल प्राप्त हुई हैं।

(iii) देश के सभी जिलों में नशा मुक्त भारत अभियान (एनएमबीए) शुरू किया गया। इसने 8.7 करोड़ युवाओं और 6 करोड़ महिलाओं सहित 24.9 करोड़ से अधिक व्यक्तियों तक पहुंच बनाई है।

(iv) सरकार देश भर में 349 'नशे के आदी लोगों के लिए एकीकृत पुनर्वास केंद्रों (आईआरसीए)' 45 'समुदाय आधारित पीयर लेड इंटरवेंशन (सीपीएलआई) केंद्रों', 76 'आउटरीच और ड्रॉप इन केन्द्रों (ओडीआईसी)' 154 'व्यसन उपचार सुविधाओं (एटीएफ)' और 139 'जिला नशा मुक्ति केंद्रों (डीडीएसी)' को सहायता प्रदान करती है।

(v) सरकार अपने स्वायत्त निकाय 'राष्ट्रीय समाजिक रक्षा संस्थान (एनआईएसडी)' और अन्य सहयोगी एजेंसियों जैसे कि 'राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद (एससीईआरटी)', 'केंद्रीय विद्यालय संगठन (केवीएस)' आदि के माध्यम से छात्रों, शिक्षकों, अभिभावकों सहित सभी स्टेकहोल्डरों के लिए नियमित रूप से जागरूकता सृजन और जानकारी सत्रों की व्यवस्था करती है।

(vi) सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय (एमओएसजेई) द्वारा छात्रों (6ठी-11वीं कक्षा), शिक्षकों और अभिभावकों को मादक पदार्थों पर निर्भरता से निपटने से संबंधित रणनीतियों एवं जीवन कौशल के बारे में जानकारी प्रदान करने के लिए नवचेतना मॉड्यूल, शिक्षक प्रशिक्षण मॉड्यूल विकसित किए गए हैं।

******